# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| पत्रावली संख्या | प्रविष्टि दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| मैनुअल नं.12/प्रा.पत्र/2025 | 06.05.2025 | 08.09.2025 |
| ( GCMS No. 2025/52 ) | | |

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. देव्या पुत्र सेकल्या जाति मेघवाल निवासी डाबी, तहसील तालेडा
**( मृतक जर्ये कायम मुकामान ) :–**

1/1. दाखाबाई बेवा देव्या जाति मेघवाल निवासी डाबी तह तालेडा
1/2. संजु पुत्री देव्या जाति मेघवाल निवासी डाबी तहसील तालेडा
1/3. अनिता पुत्री देव्या जाति मेघवाल निवासी डाबी तह. तालेडा
( मृतक लाऔलाद नाम विलोपित ) :–
1/4. गुलाबचंद पुत्र देव्या जाति मेघवाल निवासी डाबी तह. तालेडा
1/5. रमेश पुत्र देव्या जाति मेघवाल निवासी डाबी तहसील तालेडा
1/6. अशोक पुत्र देव्या जाति मेघवाल निवासी डाबी तह. तालेडा
1/7. सूरजमल पुत्र देव्या जाति मेघवाल निवासी डाबी तह. तालेडा
( मृतक जर्ये कायम मुकामान ) :–
1/7(1) सुगना पत्नी स्व.सूरजमल जाति मेघवाल निवासी डाबी
1/7(2) प्रेमचंद पुत्र स्व.सूरजमल जाति मेघवाल निवासी डाबी
1/7(3) दिलखुश पुत्र स्व.सूरजमल जाति मेघवाल निवासी डाबी
1/7(4) राधा पुत्री स्व.सूरजमल जाति मेघवाल निवासी डाबी
1/7(5) ललिता पुत्री स्व.सूरजमल जाति मेघवाल निवासी डाबी
1/7(6) पिंकी पुत्री स्व.सूरजमल जाति मेघवाल निवासी डाबी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
( कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970 )

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

जिला कलक्टर, बून्दी

# निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी देव्या आ. सेगल्या को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 1744/1183 रकबा 2.4281 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी आवंटन आदेश दिनांक 24.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 12/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025/52 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीया दाखाबाई, रमेश, अशोक के नोटिस दिनांक 09.06.2025 को तथा शेष अप्रार्थीगण के नोटिस दिनांक 26.08.2025 को बाद तामील प्राप्त हो चुके है किन्तु बावजूद सूचना नियत पेशियों पर असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आये। ऐसे में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि देव्या आ. सेगल्या जाति मेघवाल निवासी डाबी को दिनांक 24.11.1975 को भूमि खसरा सं. 1183 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम डाबी का आवंटन किया गया था। ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 1774/1183 रकबा 2.4281 हैक्टेयर पर आवंटी देव्या पुत्र सेकल्या गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी तथा उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है" अंकित किया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

मय सन



पत्रावली पर उपलब्ध संयुक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी के वारिसानों का कब्जा काश्त नहीं है तथा अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। ग्राम डाबी की नकल खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) वर्ष 2024 संवत् 2081 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर "पड़त" पडी हुई है। जिससे कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित उक्त भूमि पर गैर खातेदार का कब्जा एवं काश्त नहीं होना प्रमाणित होता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने, भूमि पर कृषि कार्य नहीं किये जाने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने के इच्छुक नहीं है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी देव्या आ. सेगल्या जाति मेघवाल निवासी डाबी को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 1183 रकबा 15 बीघा (हाल खसरा संख्या 1774/1183 रकबा 2.4281 हैक्टेयर) वाकेग्राम डाबी दिनांक 24.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर बून्दी